भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1448

जिसका उत्तर 15 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

.....

बाढ़ प्रबंधन के लिए कानून

1448. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राज्यों को बाढ़ प्रबंधन के लिए कानून बनाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने अब तक इस संबंध में कोई कार्यवाई की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टूडू)

(क) से (घ): कटाव नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों का कार्यक्षेत्र है और तदनुसार, बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। फ्लड प्लेन ज़ोनिंग को बाढ़ प्रबंधन के लिए एक प्रभावी गैर-संरचनात्मक उपाय माना गया है। फ्लड प्लेन ज़ोनिंग उपायों का उद्देश्य विभिन्न परिमाण या आवृत्तियों और संभाव्यता स्तरों की बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों या क्षेत्रों का सीमांकन करना है, और इन क्षेत्रों में अनुमेय विकास के प्रकारों को निर्दिष्ट करना है, ताकि बाढ़ की स्थिति में, नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। राज्य का विषय होने के कारण, बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों के सीमांकन और उनकी गतिविधियों को विनियमित करने संबंधी गतिविधियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है। भारत सरकार ने लगातार राज्यों को फ्लड प्लेन ज़ोनिंग दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1975 में फ्लड प्लेन जोनिंग कानून हेतु एक मॉडल ड्राफ्ट बिल भी सभी राज्यों को उनके विमर्श और उपयुक्त कानून के उद्देश्य से परिचालित किया गया था। यह मॉडल बिल, बाढ़ की बारंबारता के अनुसार एक नदी के बाढ़ मैदान के क्षेत्रीकरण की परिकल्पना करता है और बाढ़ मैदान के उपयोग के प्रकारों को परिभाषित करता है। मणिपुर, राजस्थान, उत्तराखंड और तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्यों ने कानून को लागू किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने भी समय-समय पर गंगा बेसिन में सभी राज्यों को नदी बाढ़ के मैदानों के सीमांकन, चित्रण और अधिसूचना के लिए सलाह दी है और नदी [कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन] प्राधिकरण आदेश, 2016 के अनुपालन में, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के नदी तल/बाढ़ के मैदान से अतिक्रमण हटाने की सलाह दी है। कई राज्यों ने उच्च जनसंख्या घनत्व, बाढ़ मैदानों के निवासियों को स्थानांतरित करने के लिए पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता आदि जैसे कारणों से फ्लडप्लेन ज़ोनिंग को लागू करने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है।

*****